

(8)

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, गोड्डा।

म्यूटेशन अपील नं०-06/2020-2021 रनविजय सिंह वगैरह-वादी
बनाम्

I-16-आना रैयत रैयान मौजा-गोड्डा टाऊन

II-स्टेट झारखण्ड-प्रतिवेदन
आदेश

— प्रतिवादी

03/4/2025

वर्तमान वाद की प्रक्रिया। वादीगन विजय सिंह पिता-स्व० प्रकाश सिंह (2) इन्द्रभूषण पिता-हरिशंकर सिंह साकिन हटियाचौक, गोड्डा थाना, गोड्डा ने अंचल अधिकारी गोड्डा सदर का दाखिल खारिज वाद संख्या-27/2020-2021 में पारित आदेश दिनांक-06/11/2020 के विरुद्ध लाया गया है। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विज्ञ सरकारी वकील को सुना एवं कागजातों का वारिकी से अवलोकन किया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रश्नगत मौजा-गोड्डा टाऊन जमाबंदी नं०-78 दाग नं०-01 के अंश भाग रकवा-00-03-10 तीन कट्टा दस धूर जमीन बकास्त मालिक दर्ज है। उक्त जमीन उनके दादा स्व० बटन सिंह को केवाला डीड संख्या-1014, दिनांक-07/03/1979 पृष्ठ संख्या-495 एवं 499 से प्राप्त हुई है। तत् पश्चात् उक्त जमीन पंजी-11 में उनके पिता-श्री प्रकाश सिंह पिता-स्व० बटन सिंह के नाम से अलग जमाबंदी कायम भी हो गया है।

प्रश्नगत भूमि उनके पैतृक भूमि है और वर्तमान में उनके पिता-श्री प्रकाश सिंह की मृत्यु के पश्चात् वे हक अधिकार के साथ दखलकार है। प्रश्नगत उनके पिता की उपरोक्त वर्णित जमीन में से 00-03-10-10(तीन कट्टा दस धूर दस धुरकी) जमीन में से 00-02-08-18 धुरकी जमीन उनके पारिवारिक बंटवारे में उनके हिस्से में मिली है। अपीलकर्ता का यह भी कथन है कि निम्न न्यायालय में संबंधित उत्तराधिकारियों एवं सोलह आना रैयतों को नोटिश निर्गत करने के पश्चात् भी किसी के द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है।

उसके बावजूद भी निम्न न्यायालय द्वारा उनके नामान्तरण आवेदन को अस्वीकृत किया गया है जो नियम संगत नहीं है।

अपील कर्ता के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह भी कहा गया है कि उक्त बकास्त जमीन निबंधन डीड के द्वारा उनके पूर्वजों को प्राप्त हुआ है और उक्त जमीन पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम की धारा 1949 के तहत नहीं आता है। बल्कि उक्त जमीन बिहार टेन्सी एक्ट के तहत आता है और बिहार भूमि सुधार कानून की धारा -6 के तहत प्रश्नगत जमीन पर उनके पूर्वज का रैयती अधिकार कायम हो गया है। इस संबंध में अपीलकर्ता के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची के द्वारा अपने W.P.C NO-773/2013 में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश को दाखिल किया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया है कि ऐसे भू धारक जो जमीनदारी उन्मूलन के समय जिन्हें इस तरह की जमीन प्राप्त हुई है। वह बिहार बी०टी० एक्ट के तहत रैयत समझे जायेंगे। इस संबंध में सरकारी वकील से विधिक मन्तव्य माँगी गयी। उनके द्वारा विधिक मन्तव्य दिनांक-24.06.2023 को समर्पित किया गया। सरकारी वकील ने अपने मन्तव्य के पेज नं०-तीन में भी माननीय उच्च

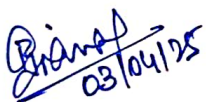
Prasad

न्यायालय झारखण्ड, राँची के द्वारा W.P.C NO-773/2013 जे0 सी0 आर0 पेज-574 में प्रकाशित तथा सी0 डब्लू जे0सी0 नम्बर-738/1967 में पटना न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णायन के आलोक में मन्तव्य दिया है कि अंचल अधिकारी गोड्डा के द्वारा पारित आदेश नियमानुकूल नहीं है।

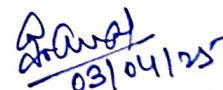
अंचल अधिकारी गोड्डा के द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया। उक्त आदेश में प्रश्नगत जमीन को उनके दादा बटन सिंह को निबंधित केवाला डीड प्राप्त करने की बात को दर्शाया है तथा उनके द्वारा अपने आदेश में यह भी वर्णित किया गया है कि उक्त जमीन पंजी-11 में आवेदक श्री प्रकाश सिंह के नाम से दर्ज भी है।

अपीलकर्ता के कथन सरकारी वकील के मंतव्य एवं निम्न न्यायालय के आदेश के अवलोकन के पश्चात् में पाता हूँ कि प्रश्नगत जमीन मौजा-गोड्डा टाऊन खाता संख्या-78 दाग नं0-01 रकवा-00-02-08-18 धूरकी (दो कट्टा आठ धुर अठारह धूरकी) ए0 डि0 बकास्त मालिक जमीन है जो निबंधित केवाला डीड संख्या 1014 दिनांक-07/03/1979 के द्वारा अपीलकर्ता के पूर्वज स्व0 बटन सिंह को प्राप्त है। तत् पश्चात् उक्त जमीन पंजी-11 में अपीलकर्ता के पिता-श्री प्रकाश सिंह के नाम अलग खाता दर्ज हो गया है जो वर्तमान में अपीलकर्ता के उत्तराधिकारी के रूप में हक अधिकार के साथ प्राप्त हुआ है। जिसपर अपीलकर्ता का अपील स्वीकृत किया जाता है तथा निम्न न्यायालय के द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या-27/2020-2021 में दिनांक-06.11.2020 को पारित आदेश को निरस्त किया जाता है- तथा अंचल अधिकारी, गोड्डा सदर को निर्देश दिया जाता है कि प्रश्नगत जमीन का नामान्तरित अपीलकर्ता के पक्ष में नियमानुकूल नामान्तरण करें। भू-लगान राज्य सरकार के राजस्व प्राप्ति के हित में करें। आदेश की प्रति अंचलाधिकारी, गोड्डा सदर को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता,

गोड्डा।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता,

गोड्डा।